प्ररूप सं. 7

[नियम 15 *देखिए*]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के अधीन मांग-सूचना

सेवा में,

....

.... *प्रास्थिति*..................................

.... [स्थायी लेखा संख्यांक] ....

1. आप को यह सूचना दी जाती है कि [1][*यथास्थिति, निर्धारण वर्ष* .... *या ब्लाक अवधारित की गइ*..................................*रुपए की राशि*], जिसके ब्यौरे पृष्ठ के पीछे दिए गए हैं, आप के द्वारा देय है।

2. इस राशि का संदाय, इस सूचना की तामील के [30] दिन के भीतर..................................में स्थित किसी प्राधिकृत बैंक/भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक को किया जाना चाहिए। उपर्युक्त राशि के संदाय के लिए [30] दिन से कम की अवधि अनुज्ञात करने के लिए आयकर [संयुक्त आयुक्त] का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। संदाय के प्रयोजन के लिए चालान संलग्न है।

[**3.** यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि का संदाय नहीं करते हैं तो आप धारा 220(2) के अनुसार उपर्युक्त अवधि समाप्ति होने के पश्चात् से प्रारंभ होने वाली तारीख से प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए [एक] प्रतिशत (की दर पर) साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होंगे।]

4. यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर की राशि का संदाय नहीं करते हैं तो धारा 221 के अनुसार आप को सुनवाई का समुचित अवसर दिए जाने के पश्चात् आप पर शास्ति (जो बकाया कर की राशि के बराबर हो सकेगी) अधिरोपित की जा सकेगी।

5. यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि का संदाय नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम, 1961 की [धारा 222 से 227, 229 और 232] के अनुसार उसकी वसूली के लिए कार्यवाहियां की जाएंगी।

[***]

[***]

[**6.**] यदि आप निर्धारण/जुर्माने/शास्ति [***] के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो आप आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 20 के भाग क के अधीन इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर..................[आयकर आयुक्त (अपील)] को प्ररूप सं. 35 में, जो उस प्ररूप में अधिकथित रूप में सम्यक् रूप से स्टांपित और सत्यापित होगा, अपील कर सकते हैं।

[**7.**] यह राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा.................के अधीन [संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील)/आय-कर आयुक्त (अपील) या मुख्य आय-कर आयुक्त] के आदेश के परिणामस्वरूप शोध्य हुई है। यदि आप उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो आप उक्त अधिनियम के अध्याय 20 के भाग ख के अधीन आयकर अपील अधिकरण को, उस आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर, प्ररूप संख्या 36 में, जो उस प्ररूप में अधिकथित रूप में स्टांपित और सत्यापित होगा, अपील कर सकते हैं।

स्थान.................................. ....

तारीख.................................. [निर्धारण अधिकारी]

....

पता

टिप्पण :

1. असंगत पैराओं और शब्दों को काट दें।

2. यदि आप राशि का संदाय चैक द्वारा करना चाहते हैं तो चैक किसी प्राधिकृत बैंक/भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक के नाम में लिखा गया होना चाहिए।

3. यदि आप राशि के संदाय के लिए समय का विस्तार चाहते हैं या किस्तों में संदाय करने के प्रस्ताव करते हैं तो, यथास्थिति, ऐसे विस्तार या किस्तों में संदाय करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन, पैरा 2 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व [निर्धारण अधिकारी] को किया जाना चाहिए। धारा 220(3) के विनिर्दिष्ट उपबंधों को देखते हुए उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त हुए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा

---

1. आयकर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2025 द्वारा **1-9-2025** से प्रतिस्थापित।